न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री जगदीश नारायण मथुरिया (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 21/2018 (विविध)

उनवान :–

शेर सिंह पुत्र रामबाबू उम्र करीब 40 वर्ष जाति लोधा निवासी ग्राम मांगरोल तहसील व जिला धौलपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर।

.....रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर दिनांक 12.06.2018 प्रकरण संख्या 28/2017 उनवान सरकार बनाम शेर सिंह।

उपस्थित :–

1. श्री श्रीकान्त श्रीवास्तव एडवोकेट अपीलाण्ट।
2. श्री गजेन्द्र सिंह एडवोकेट रेस्पोडेण्ट।

निर्णय **दिनांक :–16.01.2019**

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के आदेश दिनांक 12.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार धौलपुर ने एक प्रार्थना–पत्र धारा 177 आर0टी0एक्ट0 इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी/ अपीलाण्ट द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1065/390 रकवा 09 विस्वा वाके ग्राम दयेरी तहसील धौलपुर में अपनी खातेदारी भूमि में बिना अनुमति /रूपान्तरण करायें अवैध रूप से गणेश विद्या मन्दिर उ0 मा0 विद्यालय स्थापित करा लिया है। अतः उक्त रकवे को सिवायचक दर्ज करने का आग्रह किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/ दस्तावेज, पटवारी मौका रिपोट/मौका पर्चा के प्रकाश में प्रार्थना पत्र तहसीलदार धौलपुर, विरूद्ध अप्रार्थी/ अपीलाण्ट स्वीकार कर उक्त आराजी को सिवायचक दर्ज करने एवं अप्रार्थी/अपीलाण्ट को मौके से बेदखल करने के आदेश पारित कियें। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 व तहत पत्रावली तलब की गई। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी साक्ष्य के एवं अपीलाण्ट को बिना सुने एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर, अपीलाधीन आदेश पारित किया है। रैस्पो0 को यह ज्ञात था कि अपीलाण्ट का भूमि रूपांतरण की पत्रावली सन् 2016 से रैस्पो0 के कार्यालय में विचाराधीन है एवं केवल पट्टा प्रदान करना शेष है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-धौलपुर

Scanned by CamScanner

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा अपने खातेदारी की आराजी में बिना अनुमति/ रूपान्तरण कराये बिना अवैध रूप से स्कूल स्थापित करा लिया है। जो गैर कानूनी है। अपीलाण्ट का यह कथन कि उसे बिना सुने आदेश पारित किया है एवं रूपान्तरण की कार्यवाही पृथक से चल रही है गलत है। भूमि रूपान्तरण के सम्बन्ध में अपीलाण्ट द्वारा कोई भी साक्ष्य/ दस्तावेज प्रस्तुत नही किये हैं। जिससे साबित हो सके कि रूपान्तरण की कार्यवाही विचाराधीन है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही निर्णय पारित किया है। अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 09.02.2018 का अवलोकन दर्शाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण अप्रार्थी की तलवी में विचाराधीन होकर, प्रकरण में अग्रिम पेशी दिनांक 03.04.2018 निर्धारित हुई। आगामी पेशी दिनांक 03.04.2018 एवं दिनांक 21.05.2018 को भी पत्रावली पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्यो में व्यस्त होने के कारण तलवी में ही विचाराधीन रही। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दिनांक 12.06.2018 को राजस्व लोक अदालत में रखकर, प्रकरण का अन्तिम निस्तारण कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व पक्षकारों को सुनवाई हेतु, जारी कोई नोटिस संलग्न नही हैं एवं ना ही अपीलाधीन आदेश में अप्रार्थी की उपस्थिति ही दर्शायी गयी है। इस प्रकार अपीलाण्ट पर नोटिस तामील होना नही पाया गया है। इससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय राजस्व लोक अदालत की हडबडी में, प्राकृतिक न्याय का पालन किये बिना पारित किया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 12.06.2018 अपास्त किये जातें हैं एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 16.01.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश नारायण मथुरिया)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

Scanned by CamScanner